239

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर, कैम्प रीवा, म0प्र0

Rs. 30/-

रामगोपाल तनय रामविचार वैश्य, निवासी ग्राम मलगो, तहसील माड़ा
जिला सिंगरौली म0प्र0 - R5407-II/16 ---आवेदक

बनाम

1- जगधारी तनय रामनंदन वैश्य, निवासी ग्राम मलगो, तहसील माड़ा
जिला सिंगरौली म0प्र0,

2- शासन म0प्र0 -

-- अनावेदकगण

अधिवक्ता श्री आर.के. देव
पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत 15.9.16

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 47/अ-74/14-15 मे पारित आदेश दिनांक 4.7.2016, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई.।

================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के भूमिस्वामित्व स्वत्व को अनियमित एवं संदिग्ध मानते हुये, म0प्र0 शासन दर्ज करने हेतु आदेश दिया है, यह आदेश तहसीलदार तहसील माड़ा के प्रतिवेदन जो अनावेदक क्र. 1 के पत्र के अनुसार दिया गया है, आधारित होकर आदेश पारित कियागया, आवेदक को कोई सुनवायी का अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय

B. Pandey
Adv.

(231)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–5407–II/16 जिला सिंगरौली

रामगोपाल वैश्य/जगमधारी वैश्य

(1)	(2)
19.12.18 –	1. आवेदक की ओर से श्री अनूपदेव पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 47/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04.07.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

पत्र के अनुसार दिया गया है, आधारित होकर आदेश पारित किया गया,

आवेदक को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय

Tpand up